बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 25.01.2026

क्राइम ब्राइंच/थाना बिथरी चैनपुर बरेली।

जीएसटी फर्जीवाड़ा प्रकरण में करोड़ों के फर्जी आईटीसी रैकेट का खुलासा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

विगत कई वर्षों से फर्जी फर्मों का सृजन कर, फर्जी इनवॉइस व ई-वे बिल के माध्यम से बोगस आईटीसी (Input Tax Credit) पास-ऑन कराकर जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के लिए गौरव अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी 44 मेघा मेंशन बीसलपुर रोड थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली उम्र करीब 40 वर्ष SHREE SHYAM TRADERS अपने साथी योगेश शर्मा पुत्र श्री सलेक चन्द निवासी ग्राम छजुपुरा मोहिद्दीनपुर मेरठ के साथ मिलकर उसके नाम से एक बोगस फर्म श्री श्याम ट्रेडर्स के नाम पर जीएसटी विभाग बरेली में पंजीकृत करायी और करीब 14 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड कर राजस्व की हानि पहुँचाई जिसके सन्दर्भ में मु0अ0सं0 494/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 132 जीएसटी थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली पर श्री अविनाश दीक्षित पुत्र श्री राम कुमार दीक्षित निवासी राज्य कर अधिकारी कार्यालय उपयुक्त राज्य कर खंड 8 बरेली स्थाई पता मकान नंबर 156 द्विवेदी नगर नौबता गल्ला मंडी पोस्ट तौधकपुर जिला कानपुर नगर कानपुर आउटर उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत कराई गयी थी । विवेचना अपराध शाखा में गठित एसआईटी में निरीक्षक संजय कुमार धीर मुख्य विवेचक द्वारा सम्पादित की जा रही है।

सूचना पुलिस टीम कार्यवाही –

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अपराध बरेली के कुशल नेतृत्व व पर्यवेक्षण में अभिलेखीय साक्ष्यों , बैंक के लेन देन, साइबर एनालिसिस से अभि0 गौरव अग्रवाल पुत्र सुरेश कुमार अग्रवाल नि0 मेघा मेन्सन अपार्ट बीसलपुर रोड थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली प्रकाश में आया, जिसको मुखबिर की सूचना पर मेघा मेन्सन अपार्ट0 बीसलपुर रोड थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली से 25.01.2026 को समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ :-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि वह विगत कई वर्षों से बहुत सारी फर्जी फर्मों का सृजन कर, फर्जी इनवॉइस व ई-वे बिल के माध्यम से बोगस आईटीसी (Input Tax Credit) अन्य बहुत फर्मों अभियुक्त द्वारा मेरठ, दिल्ली, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में पंजीकृत कराई फर्जी फर्मों के माध्यम से इस नेटवर्क का संचालन किया, उनके साथ मिलकर पास-ऑन कराकर जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के संगठित अपराध में संलिप्त रहा है। अब तक अनुमानित 20 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड फर्मो के माध्यम से करने का अनुमान है तथा आंकलन जारी है। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि—फर्मों के पते बार-बार बदले जाते थे, किराये की दुकानों/पते पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, खाली वाहनों को ई-वे बिल के माध्यम से माल परिवहन दर्शाया जाता था, फर्जी लेन-देन का भुगतान हवाला नेटवर्क के माध्यम से किया जाता था, फर्जी इनवॉइस, ई-वे बिल एवं चैट डाटा मोबाइल फोन में सुरक्षित रखे जाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गौरव अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी 44 मेघा मेंशन बीसलपुर रोड थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली उम्र करीब 40 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 494/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) वीएनएस व 132 जीएसटी थाना बिथरी चैनपुर बरेली।
2- मु0अ0सं0 348/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) वीएनएस व 132 जीएसटी थाना बिथरी चैनपुर बरेली।

बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से कुल 04 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें से एक Samsung Fold-6 मोबाइल में फर्जी इनवॉइस, ई-वे बिल, नोटों की तस्वीरें एवं व्हाट्सएप चैट उपलब्ध पाई गई। मोबाइल फोन में अत्यधिक डिजिटल डाटा होने के कारण उसका फॉरेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री संजय कुमार धीर अपराध शाखा बरेली (मुख्य विवेचक) ।
उ0नि0 श्री इन्तजार हुसैन थाना बिथरी चैनपुर बरेली (सहायक विवेचक) ।
उ0नि0 श्री इन्तजार हुसैन थाना बिथरी चैनपुर बरेली (सहायक विवेचक) ।
उ0नि0 श्री सतेंद्र मोतला सर्विलांस सेल बरेली।
HC सतेंद्र कुमार साइबर सेल बरेली।
HC विकास कुमार सर्विलांस सेल बरेली।